कार्यालय

वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

(मुख्त्यारगंज रेल्वे फाटक के पास सिबिल लाईन सतना)

E-mail-dfosatna@mp.gov.in Phone- 07672-223355

क्रमांक /मा0चि0/ सतना, दिनांक / / /2019

प्रति,

मेसर्स रिलायन्स जियो
इन्फोकॉम लिमि0, 3 फ्लोर,
ब्लॉक नम्बर 1 डीबी सिटी, एम0पी0 नगर
भोपाल म0प्र0

विषय :–सतना जिले में रिलायन्स जियो 4 जी प्रोजेक्ट गोविन्दगढ़–सागौनीखुर्द रूट में ओएफसी लाईन डालने हेतु 0.45 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बावत। (प्रकरण क्रमांक/एफपी/एमपी/अदर/37377/2018)।

संदर्भः–.आपका आवेदन पत्र दिनांक 13.12.2018।

––––––0––––––

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सतना जिले में रिलायन्स जियो 4 जी प्रोजेक्ट गोविन्दगढ़–सागौनीखुर्द रूट में ओएफसी लाईन डालने हेतु 0.45 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बावत। (प्रकरण क्रमांक/एफपी/एमपी /अदर /37377 /2018)। है। प्रस्ताव का परीक्षण कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/77 दिनांक 08.01.2019 से जारी निर्देशानुसार प्रस्ताव के भाग–2 की ऑन लाइन पूर्ति कर हार्ड कॉपी अनुमोदन हेतु मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा द्वारा दिनांक 23.02.2019 को किया जाकर मूलतः प्रस्ताव इस कार्यालय की ओर भेजा गया है। प्रकरण में सशर्त सैद्वांतिक स्वीकृति एवं कैम्पा मद में राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक/मा0चि0/2327 दिनांक 28.02.2019 जारी किया गया। मेसर्स रिलायन्स जियो के पत्र दिनांक 06.03.2019 से प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रभावित वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है।

परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	गहराई मीटर	क्षेत्रफल हे. में
मुकुन्दपुर	पी–723, 727, 742	5500	0.60	1.00	0.330
योग		**5500**			**0.330**

अतः म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–5/18/2002/10–3 दिनांक 18.11.2004 एवं पत्र क्रमांक एफ–5–11/2006/10–3 भोपाल दिनांक 31.05.2014 से जारी निर्देश एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–5/विविध/2019/10–11/905 भोपाल दिनांक 26.03.2019 से प्राप्त निर्देश एवं मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा द्वारा किए गए अनुमोदन अनुसार निम्नांकित शर्तों के तहत प्रभावित वनभूमि 0.330 हे. में 4 जी भूमिगत आप्टिकल फाइवर केवल लाइन डालने हेतु औपचारिक स्वीकृत प्रदान की जाती है।

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरुप अपरिवर्तित रहेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केवल डालने की स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राइट आफ वे के तहत ही होगी। राइट आफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. केवल बिछाने हेतु वन परिक्षेत्र बरौंधा अन्तर्गत गहराई 1.00 मीटर, लम्बाई 5500 मीटर, चौड़ाई 0.60 मीटर रकवा 0.330 हेक्टैयर से अधिक वनभूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. समतली करण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. फायवर आप्टिकल केवल लाइन डालते समय वृक्षो को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जायेगी, एवं न ही प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त वनक्षेत्र को तोड़ा जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. आवेदक संस्था द्वारा या उनके ठेकेदार द्वारा वनक्षेत्र को किसी प्रकार की हानि पहुचाई जाती है तो निर्धारित राशि आवेदक संस्था से वसूल की जायेगी – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. आवेदक संस्था द्वारा लिखित वचन पत्र दिया जावे कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन या वरिष्ठ कार्यालय वन विभाग द्वारा अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वे सभी शर्त मान्य होगी – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. वनभूमि स्थित उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग में OFC केवल डालने के दौरान मशीनरी (जे.सी.बी.) आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। खन्ती खुदाई का कार्य श्रमिकों से ही कराया जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

11. आवेदक संस्था को वनभामि उपयोग पर प्रदाय करने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर कार्य शुरु न किए जाने की स्थिति में वन विभाग से पुनः उस वनभूमि पर उपरोक्त कार्य करने की अनुमति प्राप्त करना होगा।

(राजीव कुमार मिश्रा)
भा.व.से.
वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

पृष्ठा. क्रमांक./मा.चि/3478 सतना, दिनांक/02/04/2019
प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल मैहर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। **आवेदक संस्थान से उपरोक्त अधिरोपित शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करें।**
4. वन परिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र मुकुन्दपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। **प्रकरण में अधिरोपित शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करें। आवेदक संस्था या उनके ठेकेदार द्वारा अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर तत्काल नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें।**

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना